

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: संकल्प ::

शुद्धि पत्र

श्रीमती गुंजन कुमारी सिन्हा, झा0प्र0से0 (चतुर्थ बैच, गृह जिला-राँची),
संप्रति-निलंबित के विरुद्ध दिनांक-05.09.2015 से अपने कर्तव्य स्थल से बिना सूचना एवं
अनुमति के अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने संबंधी आरोपों हेतु विभागीय संकल्प
संख्या-8073, दिनांक 19.09.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी है।

उक्त संकल्प की कंडिका-5 में "श्रीमती सिन्हा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही
के संचालन हेतु अपर उपायुक्त, कोडरमा को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।"
के स्थान पर "श्रीमती सिन्हा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर
समाहर्ता, कोडरमा को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।" पढ़ा जाय।

उक्त संकल्प के शेष अंश यथावत् रहेंगे।

उक्त संकल्प को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

8626 / 5/10/16
क 10.16
(दिलीप तिकी)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक- 5/आरोप-1-109/2016 का०/राँची, दिनांक अक्टूबर, 2016
प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा
राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को राजकीय, गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

क 10.16
सरकार के उप सचिव।